सं.:12011/09/2023-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग (का.2)

एनडीसीसी-2 भवन, बि-विंग,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001
दिनांक- 23.08.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को दिए जाने वाले "नराकास राजभाषा सम्मान" के संबंध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन एवं प्रचार-प्रसार में नराकासों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्मान का नाम '**नराकास राजभाषा सम्मान**' होगा। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान 'क','ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में निम्नलिखित समितियों को सम्मानित किया जाएगा :-

क' क्षेत्र

समिति का नाम	नराकास कोड	स्थान
दिल्ली-2 (उपक्रम)	444	प्रथम
वाराणसी (बैंक)	099	द्वितीय
आगरा (बैंक)	054	तृतीय

'ख' क्षेत्र

समिति का नाम	नराकास कोड	स्थान
वडोदरा (बैंक)	302	प्रथम
रत्नागिरी (कार्यालय)	296	द्वितीय
नवी मुंबई(कार्यालय)	275	तृतीय

'ग' क्षेत्र

समिति का नाम	नराकास कोड	स्थान
डिब्रूगढ़ (कार्यालय)	168	प्रथम
बेंगलुरू (बैंक)	331	द्वितीय
भुवनेश्वर (बैंक)	142	तृतीय

3. जैसा कि विदित है कि राजभाषा विभाग द्वारा 14 व 15 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में अत्यन्त भव्य एवं गरिमामयी स्वरूप में पुणे (महाराष्ट्र) में किया जा रहा है। उपर्युक्त सम्मेलन के दूसरे दिन अर्थात् 15.09.2023 को (प्रातः 11.00 से 01.00 बजे तक) केरल के माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय गृह राज्यमंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा जी के कर कमलो से उपरोक्त नराकासों को शील्ड/प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाएगा।

4. उपरोक्त नराकासों के संबंधित सदस्य सचिवों को भी प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। सभी सम्मानित समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों से अनुरोध है कि वे दिनांक 15.09.2023 को श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, बालेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में पहुंचना सुनिश्चित करें।

5. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
उप सचिव (का.)

प्रति :-

1. सभी संबंधित नराकासों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव।

2. सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी ।